न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 781/2025

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. चूनाराम पुत्र जगमालराम 2. उदाराम पुत्र हरदासराम जाति–विश्नोई निवासी–गंगापुरा, भैरूडी तहसील सेडवा जिला बाडमेर।		1. जिला कलेक्टर, बाडमेर। 2. तहसीलदार, सेडवा जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर, बाडमेर के आदेश कमांक प.12(3)(20) राज/2020/5362 दिनांक 28.07.2021 को पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता, अपीलाण्ट् की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 22–07–2025

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भैरूड़ी के खेल मैदान हेतु ख0सं0 271/185 रकबा 73.16 बीघा गैर मुमकिन ओरण में से 09.08 बीघा भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित की गई थी, जिसकी क्षति पूर्ति ग्राम भैरूड़ी के ही खसरा नंबर 260/165 में से की गई। उक्त आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 327 के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया तथा उक्त आदेश के अनुसार राजस्व लटठा ट्रेस में तरमीम की गई एवं ख0सं0 336/185 दर्ज किये गये।

2. उक्त आवंटन के पश्चात ग्राम पंचायत भैरूड़ी सरपंच के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उक्त विद्यालय के पीछे 25–30 घरों की आबादी हेतु एकमात्र रास्ता, जो कोटलितानी से बाछला जाने वाले डामर सड़क से जुड़ता है, बन्द हो गया है। इसलिये आवागमन हेतु नवीन तरमीम, विद्यालय व खेल मैदान के बीच रास्ता छोड़ते हुए, किये जाने की मांग की गई, जिस पर जिला कलेक्टर, बाडमेर ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2021 के द्वारा खेल मैदान को यथावत रखते हुए नक्शे

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की तरमीम में संशोधन करते हुए खेल मैदान व विद्यालय के बीच रास्ता छोड़ते हुए तरमीम संशोधन करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 28.07.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 12.10.2021 को पेश की गई है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि तरमीम शुद्धि का अधिकार जिला कलेक्टर, बाडमेर को नहीं है। विधि के अनुसार तहसीलदार ही शुद्धि का प्रार्थना पत्र निस्तारित कर सकता है। जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा उक्त भूमि आवंटन के पश्चात स्कूल के साथ ही खेल मैदान का आवंटन होता है, यदि स्कूल व खेल मैदान के बीच से रास्ता निकाला जाता है तो विद्यार्थियों का जीवन संकट में पड़ जाता है तथा अपीलार्थीगण विद्यार्थियों के अभिभावक होने के कारण आलौच्य आदेश से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें। अपीलान्ट के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र में यह कथन अंकित किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 28.07.2021 अपीलार्थीगण व ग्रामवासियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है तथा उक्त आदेश से विद्यार्थियों के जीवन में संकट आने की पूर्ण संभावना है। उक्त आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 11.10.2021 को नकल प्राप्त करते हुए प्रमाणित नकले प्राप्त की गई। इस प्रकार उक्त जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थीगण द्वारा किसी विशेष उद्धेश्य की प्राप्ति हेतु जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 पारित किया गया है, वह विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि जिला कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष तरमीम शुद्धि हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें सही स्थिति प्रस्तुत की नही गई। जबकि मूल ख0सं0 181 के खातेदारों के द्वारा स्वयं के द्वारा बंटवाड़ा करवाते समय स्वयं के खेत में से आवागमन हेतु जगह छोड़ते हुए हुए भूमि की तरमीम करवाई गई है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि उक्त भूमि सार्वजनिक रास्ता नहीं है, बल्कि स्वयं की खातेदारी की भूमि है तथा उपरोक्त जगह आगे जाकर ख0सं0 181 में से ही निकलने वाले माईनर के पास स्थित सड़क से मिलती है, जिस कारण से उपरोक्त आलौच्य आदेश विधि के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। उक्त मूल ख0सं0 181 व

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उसके बटा नम्बर के खातेदार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा तरमीम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गयाथा, मात्र सरपंच के द्वारा स्वयं की स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तरमीम शुद्धि करवाई गई है, वह तरमीम शुद्धि गलत रूप से करवाई गई होने के कारण अपास्त व निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी अभिकथन किया कि तरमीम शुद्धि का अधिकार जिला कलेक्टर को नहीं है। विधि के अनुसार तहसीलदार ही शुद्धि का प्रार्थना पत्र निस्तारित कर सकता है। जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा उक्त भूमि आवंटन के पश्चात स्कूल के साथ ही खेल मैदान का आवंटन होता है, यदि स्कूल व खेल मैदान के बीच से रास्ता निकाला जाता है तो विद्यार्थियों का जीवन संकट में पड़ जाता है तथा अपीलार्थीगण विद्यार्थियों के अभिभावक होने के कारण आलौच्य आदेश से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। इसके अलावा मौके पर स्कूल व खेल मैदान की बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है, जिसको तोड़कर बीच में से रास्ता निकाला जाता है तो स्कूल के विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है, इस आधार पर आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकर की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जावे ।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा आदेश दिनांक 24.3.2020 के द्वारा ग्राम भैरूड़ी के ख0सं0 271/185 रकबा 73.16 बीघा भूमि गैर मुमकिन ओरण में से रकबा 9.03 बीघा भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भैरूड़ी एवं खेल मैदान हेतु आवंटित करते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राम भैरूड़ी के ही ख0सं0 280/165 रकबा 9.08 बीघा गैर मुमकिन धोरा से क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया गया है। तत्पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत भैरूड़ी के द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार अवगत कराया गया कि ग्राम भैरूड़ी के उक्त विद्यालय के पीछे 25–30 घरों की आबादी हेतु एकमात्र रास्ता जो कोटलितानी से बाछला जाने वाले डामर सड़क से जुड़ता है, का रास्ता उक्त आवंटन से बन्द हो गया है। इसलिये पीछे बसी आबादी के लिये आवागमन हेतु पूर्व संचालित विद्यालय व नवीन आवंटित भूमि के बीच रास्ता छोड़ते हुए तरमीम संशोधन की अनुमति चाही गई थी। उक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार, सेड़वा द्वारा तरमीम संशोधन की अनुशंषा की गई। उक्त प्रस्ताव के अनुसार जिला कलेक्टर बाड़मेर के द्वारा अपने पूर्व के आदेश दिनांक 24.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व आवंटित भूमि की तरमीम को संशोधित करते हुए प्रस्ताव के संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार विद्यालय भवन व खेल मैदान के बीच रास्ता छोड़ते हुए लट्ठा ट्रेस में संशोधित तरमीम करने की अनुमति प्रदान की गई है, कि जो पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य हैं

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी अभिकथन किया कि ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर आमजन के आवागमन की सुविधा को देखते हुए ही जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा आदेश दिनांक 28.07.2021 पारित किया गया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

है, उक्त खसरे की भूमि किसी खातेदार की व्यक्तिगत भूमि न होकर राजकीय भूमि यानि गैर मुमकिन ओरण की भूमि है, उसकी क्षतिपूर्ति भी अन्य भूमि से की जाकर पूर्ति की गई है। उक्त तरमीम आदेश को केवल मात्र अपीलान्ट्स के द्वारा ही चुनौती दी गई है, वो भी बिना किसी आधार के। यदि तरमीम संशोधन से वास्तव में अन्य ग्रामवासियों को भी किसी प्रकार की असुविधा अथवा विद्यार्थियों के जीवन के जोखिम होने जैसी परिस्थिति का आभास होता तो वे भी अवश्य ही इस आदेश को चुनौती देते तथा जिला कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करते। इस प्रकार जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि के अनुसार होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाकर जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 को यथावत रखा जावे।

9. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। जिला कलेक्टर, बाड़मेर के आदेश दिनांक 24.3.2020 के द्वारा ग्राम भैरूड़ी के ख0सं0 271/185 रकबा 73.16 बीघा भूमि गैर मुमकिन ओरण में से रकबा 9.03 बीघा भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भैरूड़ी एवं खेल मैदान हेतु आवंटित करते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राम भैरूड़ी के ही ख0सं0 260/165 रकबा 9.08 बीघा गैर मुमकिन धोरा से भूमि की क्षतिपूर्ति करने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत भैरूड़ी के द्वारा ग्राम भैरूड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे 25—30 घरों की आबादी हेतु संचालित रास्ता जो कोटलितानी से बाछला जाने वाली डामर सड़क से जुड़ता है, उक्त आवंटन से बन्द होने से पीछे बसी आबादी के लिये आवागमन हेतु पूर्व में संचालित विद्यालय व नवीन आवंटित भूमि के बीच रास्ता छोड़ते हुए तरमीम संशोधन की अनुमति चाही गई थी। उक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार, सेड़वा द्वारा तरमीम संशोधन की अनुशंषा किये जाने पर जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा अपने पूर्व के आदेश दिनांक 24.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए आवंटित भूमि की तरमीम को संशोधित करते हुए प्रस्ताव के संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार विद्यालय भवन व खेल मैदान के बीच रास्ता छोड़ते हुए लट्ठा ट्रेस में संशोधित तरमीम करने के आदेश दिये गये है।

अपीलान्ट्स के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रश्नगत भूमि पर तरमीम संशोधन के अनुसार रास्ता निकाला जाता है तो विद्यालय में आने जाने विद्यार्थियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी आपत्ति प्रस्तुत की गई की तरमीम संशोधन तहसीलदार के द्वारा ही की जा सकती है तथा विवादग्रस्त भूमि के पड़ौसी खातेदारो को बिना सुने अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 पारित किया गया है।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार अंकित तथ्यों के बाद अवलोकन हमने यह पाया है कि सरपंच, ग्राम पंचायत भैरूड़ी ने दिनांक 01.06.2020 को तरमीम संशोधन का प्रार्थना पत्र

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर को प्रस्तुत कर कथन किया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय भेरूडी के खेल मैदान हेतु आंवटित भूमि के पीछे बसी हुई आबादी के लिए आने जाने हेतु कदीमी रास्ता था, जो आंवटन आदेश दिनांक 24.03.2020 से बंद हो गया है तथा उक्त रास्ता सरकारी भूमि में से होने से कटान नही था, लेकिन इसके आगे खातेदारी भूमि में संबंधित खातेदारान द्वारा रास्ते हेतु भूमि समर्पण करवाई गई। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, सेड़वा से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक 315 दिनांक 08.06.2021 के द्वारा जांच प्रतिवेदन अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर को प्रेषित किया गया, तहसीलदार, सेड़वा ने जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि ग्राम भैरूडी के खसरा नंबर 272/185 रकबा 5.00 बीघा भूमि का पूर्व में विद्यालय के नाम आवंटन है तथा उक्त खसरे के पास पूर्व का मूल खसरा संख्या 271/185 रकबा 73.16 बीघा किस्म गै.मु. औरण का आया हुआ है जिसमें से 9.08 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैरूड़ी के खैल मैदान हेतु आंवटित की गयी है जिसका रिकॉर्ड में अदमलदरामद किया जा चुका। जिसके खसरा नंबर 336/185 रिकॉर्ड में दर्ज है एवं लठ्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित है, जो विद्यालय हेतु पूर्व में आंवटित भूमि खसरा नंबर 272/185 से सटी हुई है, जबकि उक्त खसरा नंबर 272/185 व 336/185 के मध्य विद्यालय के पीछे बसी हुई 25–30 घरों की आबादी के लिए आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता गुजरता है जो आगे कोटतिलानी से बाछला जाने वाली डामर सड़क से सीधा जुडता है जबकि उक्त आवंटन होने से रास्ता बंद हो गया है। उक्त रास्ते को आवागमन हेतु छोड़ते हुए तरमीम में आंशिक संशोधन करने पर मूल खसरे में पीछे भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 28.07.2021 को पारित करने से पूर्व तहसीलदार, सेड़वा से लिखित रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा तहसीलदार, सेड़वा के द्वारा अनुशंषा किये जाने पर जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा तरमीम संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई है, उसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। संशोधन आदेश दिनांक 28.07.2021 में आंवटन भूमि की किस्म गैर मुमकिन ओरण एवं क्षतिपूर्ति भूमि की किस्म गैर मुमकिन धोरा है, जो राजकीय भूमि है। उक्त भूमि राजकीय भूमि होने से अपीलाण्ट का प्रश्नगत अपील में कोई Locus Standi नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर का संशोधन आदेश क्रमांक प.12(3)(30)राज/2020/5362 दिनांक 28.07.2021 विधि के अनुरूप होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 में कोई त्रुटि होना नही पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर के संशोधन आदेश क्रमांक प.12(3)(30)राज/2020/5362

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 28.07.2021 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिमा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर